प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 22.03.2025

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ

अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है

गैरकानूनी कार्य करोगे तो कड़ी कार्यवाही होगी जरूर

दिनांक 21.03.2025 को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य भूमि विवाद में मौके पर पहुँची पुलिस टीम के साथ अभद्रता, गाली गलौज कर हमलावर होने के प्रकरण में 01 अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना कन्धई पुलिस की सख्त कार्यवाही

थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत बीरमऊ के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

दिनांक 21.03.2025 की शाम में कन्धई के ग्राम दरछूट में दो पक्षों के मध्य भूमि संबंधी विवाद था। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके पर पहुँची थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाया- बुझाया जा रहा था कि अचानक आरोपीगणों द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज कर सरकारी कार्य में व्यवधान डालते हुए हमलावर होने के प्रकरण में कन्धई पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2025 को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दरछूट में दो पक्षों के मध्य भूमि संबंधी विवाद था। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके पर पहुँची पुलिस टीम के साथ आरोपीगणों द्वारा अभद्रता व गाली गलौज कर कार्य सरकार में व्यवधान डालते हुए हमलावर हो गये। इस संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 63/ 25 धारा 191(2), 352, 351(2), 351(3), 132, 121(1), 118(1) बीएनएस बनाम 06 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्धई श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, का0 अनुराग द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 63/25 उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र स्व0 रामकेदार निवासी ग्राम दरछुट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को क्षेत्रान्तर्गत बीरमऊ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- मुकेश कुमार पुत्र स्व0 रामकेदार निवासी ग्राम दरछुट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार , का0 अनुराग थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अपराध एवं अपराधियों को विरुद्ध जीरो टॉयलेंस नीति के तहत प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी है। लोकसेवक के साथ अभद्रता/दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाँधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोकें एवं नागरिक नियमों का पालन करें। अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।